न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— हरफूलसिंह यादव (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :— 05/2012

उनवान प्रकरण

मूर्ति रामचन्द्र जी महाराज नावालिग विराजमान मन्दिर श्री रामचन्द्र जी महाराज स्थित वांके ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर जरिये वाद मित्र पूरनसिंह पुत्र स्व0 श्री हरदनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम पचगांव तहसील व जिला धौलपुर वहैसियत पुजारी .....**प्रार्थी**

बनाम

1—पीयूष पुत्र श्यामबावू जाति ब्राहम्ण निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर
2—वीना पुत्री श्यामबावू पत्नि अजय शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ए—5/335पश्चिम विहार नई दिल्ली
3—बन्दना पुत्री श्यामबावू पत्नि पंकज त्रिपाठी जाति ब्राहम्ण निवासी पचगांव तहसील धौलपुर
4—प्रीति पुत्री श्यामबावू पत्नि विपुल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पचगांव तहसील धौलपुर
5—श्रीमती मायादेवी वेवा श्यामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी पचगॉव तहसील धौलपुर
6—गणेश पुत्र श्यामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पचगॉव तहसील व जिला धौलपुर
7—श्रीमती मीनू पुत्री श्यामस्वरूप पत्नि विनोद पचौरी जाति ब्राहम्ण निवासी कस्वा राजाखेडा जिला धौलपुर
8—श्रीमती सुमन पुत्री श्रीगोपाल जाति ब्राहम्ण नि0 मौहल्ला अयोध्याकुंज सैपऊ रोड धौलपुर
9—श्यामकिशोर पुत्र श्री गोविन्द जाति ब्राहम्ण निवासी इन्द्रा कॉलौनी अस्पताल आउट डोर के पीछे धौलपुर
10—अनिल पुत्र श्री गोविन्द जाति ब्राहम्ण निवासी पचगांव तहसील व जिला धौलपुर
11—श्रीमती आशा शर्मा पुत्री श्री गोविन्द पत्नि शिवनारायन जाति ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला तलैया कोठी धौलपुर
12—मिथलेश पुत्री श्री गोविन्द पत्नि वीरवल जाति ब्राहम्ण निवासी कस्वा बाडी जिला धौलपुर
13—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्डहोल्डर .....**अप्रार्थीगण**

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट 1956
एंव धारा 232 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

प्रार्थी की ओर से — श्री किशनसिंह त्यागी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1,,9,10 की ओर से — श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से — श्री शिवकिशोर शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या—13 की ओर से — श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभि0

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 24.08.2018

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 2013 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 957 रकवा 13 विस्वा, ख0न0 2027 रकवा 1 वीधा 4 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 956 रकवा 1 वीधा 8 विस्वा, ख0न0 2045 रकवा 10 विस्वा जिसका साविक ख0न0 680मिन रकवा 12 विस्वा, 2046 रकवा 18 विस्वा जिसका साविक ख0न0 680मिन रकवा 1 वीधा 3 विस्वा, 2047 रकवा 12 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 680मिन रकवा 14 विस्वा वाके ग्राम पचगॉव तहसील धौलपुर विवादित कृषि भूमि साविक के खातेदार काश्तकार प्रार्थी मन्दिर श्री रामचन्द्र जी महाराज थे। मन्दिर में विराजमान मूर्तियों की पूजा अर्चना प्रार्थी का वाद मित्र पूरनसिंह करता है। विवादित कृषि भूमि साविक सम्बत 2014 से 2017 की जमाबन्दी के मुताविक प्रार्थी मूर्ति रामचन्द्र की खातेदारी में दर्ज रही जिसके नीचे श्री गोपाल व श्री गोविन्द पूर्व पुरूष अप्रार्थीगण अंकित था लेकिन विवादित आराजी में इनके अधिकार खातेदारी नही थे, नही इन्होने प्रार्थी क वादमित्र की यादशात में पूजा अर्चना की है। मंदिर मूर्तियों की पूजा अर्चना प्रार्थी वादमित्र व उसका परिवार करता रहा है। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष श्रीगोपाल, श्रीगोविन्द ने अप्रार्थी संख्या–13 से साज कर प्रार्थी मूर्ति मन्दिर की आराजीयात को नामान्तकरण संख्या 335 के माध्यम से अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा लिया जो अवैध व शून्य है जिससे अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष श्रीगोपाल व श्री गोविन्द को कोई अधिकार नहीं मिलते है तथा 46 आर.टी.एक्ट से वाधित है। नामान्तकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाहीयां है जिससे अधिकार सृजित नहीं होते है। श्रीगोपाल व श्री गोविन्द का निधन हो गया है। श्री गोविन्द का तरका अप्रार्थी संख्या 9 लग012 ने नामान्तकरण संख्या 1802 से प्राप्त किया है। नामान्तकरण संख्या 1802 शून्य व प्रभावहीन है जिससे उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलते है। श्रीगोपाल का निधन हो गया है जिसका तरका जरिये नामान्तकरण संख्या 974 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1लगा04 के पिता श्यामबावू ने तथा अप्रार्थी संख्या–5 के पति व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के पिता श्यामस्वरूप ने तथा अप्रार्थी संख्या 8 ने प्राप्त किया। यह कि श्यामबावू का निधन हो गया जिसका तरका जरिये नामान्तकरण संख्या 1472 से अप्रार्थी संख्या 1लगा04 ने प्राप्त किया है। नामान्तकरण संख्या 1472 शून्य व प्रभावहीन है। इस प्रकार से अप्रार्थीगण व उनके पूर्व पुरूषो के पक्ष में तस्दीक नामान्तकरण संख्या 335, 769, 974, 1472, 1802 शून्य व प्रभावहीन है तथा धारा 46 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लधंन कर उपरोक्त नामान्तकरण प्रार्थी मूर्ति मन्दिर श्री रामचन्द्र जी की पीठ

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

पीछे बिना सुनवाई का मौका दिये तरदीक किये है जो व मुकावले प्रार्थी मूर्ति मन्दिर रामचन्द्रजी महाराज शून्य व प्रभावहीन है। मूर्ति रामचन्द्र जी महाराज एवं मन्दिर में विराजमान समस्त मूर्तियों की पूजा अर्चना अप्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूषो ने कभी नहीं की है हमेश से प्रार्थी के वाद मित्र पूरनसिंह व उनके पूर्व पुरूषों ने पूजा अर्चना साफ सफाई की है तथा मंन्दिर की मरम्मत हिफाजत करते रहे है। प्रार्थी का मंन्दिर प्राचीन मंन्दिर है जिसका अंकन भारतीय फौज के नक्शे में दिखाया गया है। अप्रार्थी एक माह पूर्व विवादित आराजीयात पर ट्रैक्टर से एकसार कर रोड का निर्माण कर रहे थे जब प्रार्थी मूर्ति मंन्दिर के वादमित्र ने कारण अप्रार्थीगण से पूछा तो इजहार किया कि अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूषों ने मंन्दिर की कृषि भूमि को अपने नाम राजस्व कर्मचारियों से साज कर करा लिया था जो अब अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है जिसे अप्रार्थीगण शीध्र विक्रय करने ज रहे है। जब प्रार्थी ने राजस्व अभिलेख का निरीक्षण कराया तब असलियत का पता चला इससे पूर्व ज्ञान नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात को प्रार्थी मन्दिर रामचन्द्रजी महाराज के नाम दर्ज करने हेतु नामान्तकरण संख्या 335, 769, 974, 1472, 1802 को निरस्त करने हेतु प्रकरण को माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर को रैफरेन्स किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी संख्या 83 सम्बत 2066 से 69 ग्राम पचगॉव, मिलान क्षेत्रफल ग्राम पंचगॉव, नकल जमाबन्दी संख्या 169 सम्बत 2014 से 17, नकल जमाबन्दी संख्या 552 सम्बत 2046 से 49, नकल जमाबन्दी संख्या 541 सम्बत 2050 से 2053, नकल नामान्तकरण संख्या 974, नकल नामान्तकरण संख्या 1472, नकल जमाबन्दी संख्या 117 वर्ष 2006, नकल नामा0सं0 335, नकल मिलान क्षेत्रफल ख0न0 2027 ग्राम पंचगॉव तहसील धौलपुर प्रस्तुत की है

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या 8,9,10 की ओर से श्री शिवकिशोर शर्मा एडवोकेट, अप्रार्थी संख्या–6 की ओर से श्री गिरिश व्यास एडवोकेट, ने बकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या–13 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1, 6 व 13 की ओर से कोई जबाव पेश नहीं हुआ। अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 8,9,10 की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विरूद्व उत्तरदाता बराये बदनीयती दुर्भावानापूर्वक उत्तरदाता को हैरान व परेशान करने के

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

उद्वेश्य से गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। उत्तरदाता के पूर्वज श्रीगोपाल व श्री गोबिन्द पिसरान लालाराम जाति ब्राहम्ण गत खसरा नम्बर 956, 957 व 680 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर काबिज थे तथा कानून के प्रभाव से उन्हें खातेदारी प्रदान करदी गई थी तथ मन्दिर रामचन्द्रजी कभी भी खातेदार उक्त भूमि का नहीं रहा। उत्तरदाता के उक्त पूर्वज उक्त मन्दिर के पुजारी थे प्रार्थी पूरनसिंह एवं उसके पूर्वज उक्त मन्दिर के कभी पुजारी नहीं रहे और ना ही वर्तमान में है। उत्तरदाता व उसके पूर्वज सम्बत 2012 से वर्णित कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार एवं अधिपत्यधारी कृषक है तथा यह प्रार्थना पत्र उत्तरदाता के पूर्वजो को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के करीब 60 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण एवं उसके परिवारीजन विवादित आराजीयात पर काबिज होकर काश्त कर रहे है और प्रार्थीगण से पूर्व उसके पूर्वज काबिज व अधिपत्यधारी रहे है। वर्णित कृषि भूमि के सम्बध में कई नामान्तकरण खुले है तथा कानूनन सभी नामान्तकरण आदेशों के विरूद्व एक ही रैफरेन्स पोषणीय नहीं है। रैफरेन्स प्राईवेट व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तथा सभी आवश्यक व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली वहस हेतु नियत की गई। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने वहस में भाग नहीं लिया उन्हें लिखित वहस प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित किया गया लेकिन उनके द्वारा लिखित वहस भी पेश नहीं की गई। वहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अपनी बहस में कथन किया है कि विवादित कृषि भूमि साविक के खातेदार काश्तकार प्रार्थी मन्दिर श्री रामचन्द्र जी महाराज थे। मन्दिर में विराजमान मूर्तियों की पूजा अर्चना प्रार्थी का वाद मित्र पूरनसिंह करता है। विवादित कृषि भूमि साविक सम्बत 2014 से 2017 की जमाबन्दी के मुताविक प्रार्थी मूर्ति रामचन्द्र की खातेदारी में दर्ज रही जिसके नीचे श्री गोपाल व श्री गोविन्द पूर्व पुरूष अप्रार्थीगण अंकित था लेकिन विवादित आराजी में इनके अधिकार खातेदारी नही थे, नही इन्होने प्रार्थी क वादमित्र की यादशात में पूजा अर्चना की है। मंदिर मूर्तियों की पूजा अर्चना प्रार्थी वादमित्र व उसका परिवार करता रहा है। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष श्रीगोपाल, श्रीगोविन्द ने प्रार्थी मूर्ति मन्दिर की आराजीयात को नामान्तकरण संख्या 335 के माध्यम से अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा लिया जो अवैध व शून्य है जससे अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष श्रीगोपाल व श्री गोविन्द को कोई अधिकार नहीं मिलते है तथा 46 आर.टी.एक्ट से वाधित है। नामान्तकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाहीयां है जिससे अधिकार सृजित नहीं होते है। रैफरेन्स एक आदेश नहीं है बल्कि केवल एक मत है। रैफरेन्स करने के लिये कोई परिसीमा अवधि नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर को रैफरेन्स किया जावे।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर हाल 2013 रकवा 1 बीघा 7 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 957 रकवा 13 विस्वा, ख0न0 2027 रकवा 1 वीघा 4 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 956 रकवा 1 वीघा 8 विस्वा, ख0न0 2045 रकवा 10 विस्वा जिसका साविक ख0न0 680मिन रकवा 12 विस्वा, 2046 रकवा 18 विस्वा जिसका साविक ख0न0 680मिन रकवा 1 वीघा 3 विस्वा, 2047 रकवा 12 विस्वा जिसका साविक खसरा नम्बर 680मिन रकवा 14 विस्वा वाके ग्राम पचगॉव तहसील धौलपुर विवादित कृषि भूमि साविक सम्बत 2014 से 2017 की जमाबन्दी के मुताविक प्रार्थी मूर्ति रामचन्द्र की खातेदारी में दर्ज रही जिसके नीचे श्री गोपाल व श्री गोविन्द पिसरान लालाराम पूर्व पुरूष अप्रार्थीगण का नाम अंकित है। लेकिन विवादित आराजी में इनके अधिकार खातेदारी नही थे। अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष श्रीगोपाल, श्रीगोविन्द ने प्रार्थी मूर्ति मन्दिर की आराजीयात को नामान्तकरण संख्या 335 के माध्यम से अपने नाम खातेदारी में दर्ज करा लिया जो अवैध व शून्य है जिससे अप्रार्थीगण के पूर्व पुरूष श्रीगोपाल व श्री गोविन्द को कोई अधिकार नहीं मिलते है। इस प्रकार नामान्तकरण संख्या 335 एवं उसके उपरान्त खोले गये नामान्तकरण संख्या 769, 974, 1472, 1802 शून्य व प्रभावहीन है। अतः इस प्रकार हमारी राय में नामान्तरकरण संख्या 335 एवं उसके उपरान्त खोले गये नामान्तकरण संख्या 769, 974, 1472, 1802 वाके ग्राम पचगांव तहसील धौलपुर अवैध व शून्य है जिनको निरस्त कराने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः आदेश है कि नामान्तरकरण संख्या 335 एवं उसके उपरान्त खोले गये नामान्तकरण संख्या 769, 974, 1472, 1802 वाके ग्राम पचगांव तहसील धौलपुर को निरस्त कराने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाता है तथा उभयपक्षों को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उपस्थित होने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.10.2018 नियत की जाती है।

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जाकर नम्बर से कम किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.8.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

Scanned by CamScanner